

स्माइल योजना

प्रलिस के लयल:

केंद्रीय कषेत्रक योजना, राष्ट्रीय सामाजक रक्षा संस्थान, राष्ट्रीय पछिडा वर्ग वतलत एवं वकलस नगलम

मेन्स के लयल:

भखलरयलल के लयल स्माइल योजना और उनकी आजीवकल बढाने में इसका महत्त्व

चरचा में कयल?

हाल ही में सामाजक न्याय और अधकलरतल मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का लखलतल उत्तर देते हुए यह सूचतल कयल क मंत्रालय द्वारा **स्माइल-आजीवकल और उदयम के लयल सीमांत वयकतयलल हेतु समर्थन** (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) नामक योजना तैयार की गई है।

- इसमें **केंद्रीय कषेत्रक** की 'भखलरयलल के वयापक पुनरवास के लयल योजना' नामक एक उपयोजना भी शामिल है।
- वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट 7 शहरों दललल, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना में चल रहा है।

प्रमुख बढल

• स्माइल योजना के बारे में:

- भखलरयलल और ट्रांसजेंडरों के लयल मौजूदा योजनाओं के वललत के बाद यह एक नई योजना है।
- यह योजना राज्य/संघ राज्य कषेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय नकलयल के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लयल भकषावृत्तल में लगे वयकतयलल के लयल पुनरवास सुनशलचतल करती है।
 - मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कारयान्वयन एजेंसयलल द्वारा नए समरपतल आश्रय गृह स्थापतल कयल जाऐंगे।

• मुख्य केंद्र:

- इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनरवास, चकलतलसु वसुधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनयलदी दस्तवेज, शकषा, कौशल वकलस आदल हैं।
- अनुमान है क इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब वयकतयलल को गरमलपूरण जीवन जीने के लयल लाभान्वतल कयल जाएगा।

• करयान्वयन:

- इसे राज्य/संघ राज्य कषेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी नकलयल, स्वैच्छकल संगठनों, समुदाय आधारतल संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के सहयल से लागू कयल जाएगा।

• भखलरयलल के वयापक पुनरवास के लयल योजना:

- यह भकषावृत्तल में संग्लन वयकतयलल के जीवनस्तर में सुधार के लयल एक वयापक योजना होगी।
- इस योजना को चुनदल शहरों में पायलट आधार पर लागू कयल गया है जहाँ भखलरयलल की संख्या अधकल है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने भखलरयलल के कौशल वकलस कारयक्रमों हेतु राष्ट्रीय सामाजक रक्षा संस्थान (NISD) को 1 करोड़

रुपए और राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग वतित एवं वकिस नगिम (NBCFDC) को 70 लाख रुपए की राशजिारी की गई ।

• भारत में भकषिवृत्तकी स्थतिः

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भखिरयिों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएँ) है और पछिली जनगणना के बाद से इस संख्या में वृद्धि हुई है ।
- पश्चिमि बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लकषद्वीप में भखिरयिों की संख्या केवल दो है ।
- केंद्रशासति प्रदेशों में नई दलिली में सबसे अधिक 2,187 भखिारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में इनकी संख्या 121 थी ।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम 22,116 भखिरयिों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मिज़ोरम 53 भखिरयिों के साथ नचिले स्थान पर है ।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय भकषिवृत्त रोकथाम अधिनियम के तहत वभिन्न राज्यों में भकषिवृत्तको अपराध की श्रेणी से हटाने के लयि एक याचकिा पर वचिर करने हेतु सहमत हुआ है ।

राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग वतित एवं वकिस नगिम (NBCFDC)

- NBCFDC सामाजकि न्याय और अधिकारति मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है ।
- इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी, 1992 को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापति कयिा गया था ।
- इसका उद्देश्य पछिड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने हेतु आर्थकि एवं वकिसात्मक गतिविधियिों को बढ़ावा देना तथा कौशल वकिस व स्वरोजगार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की सहायता करना है ।

राष्ट्रीय समाज रकषा संस्थान (NISD)

- NISD एक स्वायत्त नकिय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), दलिली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है ।
- यह सामाजकि न्याय और अधिकारति मंत्रालय का एक केंद्रीय सलाहकार नकिय है ।
- यह सामाजकि रकषा के क्षेत्र में नोडल प्रशकषण और अनुसंधान संस्थान है ।
- संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरषिठ नागरकिों के कल्याण, भकषिवृत्त रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजकि रकषा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन वकिस पर केंद्रति है ।
- संस्थान का अधदिश प्रशकषण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजकि रकषा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है ।

स्रोत- पी.आई.बी

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/smile-scheme-1>